संख्या-352/2025/2184/22-2-2024-17(224)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज शर्मा पुत्र श्री ब्रजकिशोर, निवासी जनपद-दिल्ली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-37422/प्रो(6)/246(पुनर्विचारित प्रकरण), दिनांक 10.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज शर्मा पुत्र श्री ब्रजकिशोर जो म0नं0-1/4706डी, बलबीर नगर, थाना-शाहदरा, जनपद-दिल्ली का निवासी है। सिद्धदोष बन्दी मनोज शर्मा पुत्र ब्रजकिशोर द्वारा दिनांक 19-02-2004 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 10 वर्षीय बच्चे गौरव मित्तल का अपहरण किया और फिरौती की मांग की एवं बच्चे गौरव द्वारा पहचाने जाने के कारण उसकी हत्या कर लाश गड्ढे में गाड दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-55/2004, भा0द0वि0 की धारा-364A, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) आगरा के आदेश दिनांक 26.08.2006 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-25.07.2022 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2024 तक अपरिहार 20 वर्ष, 00 माह, 12 दिन एवं सपरिहार 25 वर्ष, 09 माह, 26 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति अत्यन्त गम्भीर है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज मे न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता व जघन्यता के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018,दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018, दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मनोज शर्मा पुत्र ब्रजकिशोर की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मनोज शर्मा (बन्दी संख्या-17699) पुत्र श्री ब्रजकिशोर, निवासी जनपद-दिल्ली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-352/2025/2184(1)/22-2-2024-17(224)/2024 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।

2- पुलिस अधीक्षक, दिल्ली।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।